राज० पास्ट

संख्याः—शिक्षा—एच(21)ए(1)पी.एस—16/2019—सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
05 FEB 2020

दिनांक : शिमला—171001 जनवरी, 2020

सेवा में

समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

विषयः— स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्र संख्याः शिक्षा—एच(21)ए(1)पी.एस—16/2017—सामान्य निर्देश—वोल—1 लूज दिनांक 11.09.2019 तथा समय—समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की और आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि स्कूली बच्चों की सूरक्षा को मध्यनजर रखते हुए देश के सर्वोच न्यायालय और प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा—निर्देशो का अनुपालना अपरिहार्य है। बच्चों को वाहनो में ठूस—ठूस कर भरने की प्रवृति, यातायात नियमो को ताक पर रखकर बाहनों का चलाना और बाहनो का नियमो के प्रतिकुल होना सब किसी न किसी दूर्घटना का कारण है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने—अपने कार्यक्षेत्र में संचालित समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को स्कूल में पढ रहे छात्रो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दूओं पर दिशा निर्देश जारी करें।

1. बस के पीछे और सामने की तरफ स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
2. यदि बस किराये पर ली गई हो तो बस में **"स्कूल डयूटी"** स्पष्ट रूप से इंगित किया गया होना चाहिए।
3. बस में हमेशा फस्ट एड़ बॉक्स होना चाहिए।
4. बस में काम करने की स्थिति में आग बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए।
5. स्कूल प्रबन्धन प्रत्येक स्कूल बस में कम से कम एक प्रशिक्षित महिला गार्ड/परिचारक को भी सुनिश्चित करेगा, जो बस में यात्रा के दौरान छात्रों की देखभाल करेगा और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और बोर्डिग और डी—बोर्डिग में छात्रों की सहायता करेगा।
6. स्कूल बस के प्रत्येक चालक के पास भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसके विरूद्व यातायात अपराधों के सन्दर्भ में कोई शिकायत दर्ज न हो।
7. स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय व केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना।
8. **स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में overloading न करने तथा यातायात नियमो का पालन।**
9. **यदि छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो वाहन/बस में छात्रों की संख्या वाहन की निर्धारित क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्र को एक व्यक्ति माना जायेगा।**

9299
10-2-2020

G-II

<u>यदि स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु निजी ऑपरेटरों द्वारा निजी मोटर कैब/मैक्सी कैब/वैन आदि का उपयोग किया जाता है तोः—</u>

1. मोटर कैब/मैक्सी कैब/वैन आदि के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से "स्कूल डयूटी" लिखा होना चाहिए।

06
10-2-2020 Reject to p u this in meeting

2. स्कूल प्रबन्धन को चालक का नाम/पता और वाहन का विवरण निकटतम पुलिस स्टेशन ओर जिला यातायात पुलिस में देना अनिवार्य होगा।
3. वाहन चलाते समय चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए।
4. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन की अगली सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी।
5. चालक का वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। उसकी नेम प्लेट वर्दी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
6. स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में overloading न करना तथा यातायात नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. यदि छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो वाहन/बस में छात्रों की संख्या वाहन की निर्धारित क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्र को एक व्यक्ति माना जायेगा।

अतः समस्त निजी स्कूल प्रमुखो को उक्त सन्दर्भ में दिशा निर्देश जारी करें तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाये।

R.Bhardwaj
सं0 शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि0)
हिमाचल प्रदेश।

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Pvt. School/ 2018/- 16266
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).
Dated Una 14 February, 2020

Forwarded in original to all the Principals/ Headmasters Private Senior Secondary / High Schools in Una District for information and strict compliance with immediate effect.

Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).